मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : 1035/896/2007/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2007

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।

* * * * * *

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–7/2000/3/एक दिनांक 22–1–2007 द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत् दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं । उक्त दिशा निर्देशों की कंडिका 10.6 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

" जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की हैं उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नहीं होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त एक लाख रुपये की राशि संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जाए ।"

उक्त कंडिका 10.6 के अंतर्गत निराकृत किये जाने वाले प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त एक लाख रुपये की राशि संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/स्था–4/सी/अनु.नियु./292/2007–08/62 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2008
प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव,म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर एकल नस्ती पं.क आर 4212/07/20–2, दिनांक के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित् ।
2. समस्त कलेक्टर,, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
6. सहायक संचालक, वित्त / बजट (स्थानीय)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश